HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15216/2025

1. Ranjeet Singh Alias Raja S/o Shri Sadhu Singh, Aged About 45 Years, Resident Of Ward No. 06, 4 Bnw Banwali, Tehsil Sadulshahar District Sri Ganganagar.
2. Shrawan Singh Alias Chhinda Singh S/o Shri Jeet Singh, Aged About 47 Years, Resident Of Ward No. 06, Banwali, Tehsil Sadulshahar District Sri Ganganagar.

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sunil Bishnoi
For Respondent(s)	:	Mr. Urja Ram Kalbi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

23/03/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी अग्रिम जमानत हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत पुलिस थाना– लालगढ़ जाटन जिला– गंगानगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–115/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2) व 189(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में धारा 126(2), 115(2) व 189(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा आहत जसकरण के साथ कोई मारपीट नहीं की है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण घटनास्थल पर मौके पर तत्समय उपस्थित नहीं थे। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अनुसंधान में सहयोग करने के लिए तत्पर है एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के संबंध में अंतरिम आदेश पूर्व में न्यायालय द्वारा

जारी किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा संबंधित अनुसंधान अधिकारी का पूर्ण सहयोग किया गया है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक एवं परिवादी के अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका कथन है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत जसकरण के साथ मारपीट कर कुल नौ चोटें कारित की हैं, जिसमें से चोट संख्या 2 गंभीर व धारदार हथियार से व चोट संख्या 3 व 4 साधारण धारदार होना उल्लेखित किया गया है और इसी प्रकार चोट संख्या 5 से 9 साधारण प्रकृति की कुंदआले से होना उल्लेखित किया गया है। इस संदर्भ में अनुसंधान के मुख्य गवाह पलविन्द्र सिंह व अमरीक सिंह द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की घटनास्थल पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ उपस्थिति दर्शित की गई है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध गंभीर आरोप है। उनका यह भी कथन है कि राजासिंह और रणजीत सिंह उर्फ राजा एक ही व्यक्ति है और राजासिंह का नाम मारपीट करने में आहत जसकरण ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जमानत का अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

आहत जसकरण सिंह ने अपने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के कथनों में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का नाम मारपीट करने वाले अन्य सहअभियुक्तगण के साथ उल्लेखित नहीं किया है। उक्त साक्षी द्वारा अपने बयानों में यह तथ्य उल्लेख किया है कि बोलेरो कैम्पर से आकाशदीप उर्फ गगना, पवित्र सिंह, राजा सिंह, बुटा सिंह व छिंदा सिंह इत्यादि आए और राजा सिंह, बुटासिंह, पवित्र सिंह, आकाशदीप उर्फ गगना ने उसके साथ मारपीट कर जगह–जगह चोटे पहुंचाईं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त रणजीत सिंह उर्फ राजा ने मारपीट में भूमिका स्पष्ट रूप से आहत साक्षी जसकरण व अन्य साक्षीगण ने उल्लेख किया है। आहतगण ने प्रार्थी/अभियुक्त श्रवण सिंह की अपराध में सम्बद्धता के संदर्भ में जसकरण व अन्य गवाहान ने श्रवण की मारपीट करने में कोई

भूमिका दर्शित नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त रणजीत सिंह उर्फ राजासिंह की अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त श्रवण सिंह को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित समझता हूँ। अतः प्रार्थी/अभियुक्त **श्रवण सिंह** का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **श्रवण सिंह उर्फ छिंदा सिंह पुत्र जीत सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी, पुलिस थाना– **लालगढ़ जाटन** जिला– **गंगानगर** को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहां पंजीबद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने की सूरत में यदि प्रार्थी/अभियुक्त उनके संतोषप्रद पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध–पत्र तथा पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर आजाद कर दिया जावेः–

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

118-Yogeshwar Sharma/-